E-ISSN: 2664-603X
P-ISSN: 2664-6021
IJPSG 2022; 5(1): 180-181
www.journalofpoliticalscience.com
Received: 12-04-2023
Accepted: 18-05-2023

महेन्द्र सिंह
शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग
जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय,
जोधपुर, राजस्थान, भारत

Corresponding Author:
महेन्द्र सिंह
शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग
जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय,
जोधपुर, राजस्थान, भारत

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में भारत की भूमिका और स्थायी सदस्यता प्राप्त करने में चुनौतियां।

महेन्द्र सिंह

DOI: https://doi.org/10.33545/26646021.2023.v5.i1c.220

सारांश
सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, जिसका गठन द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान 1945 में हुआ था। सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्य हैं– अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के पास वीटों का अधिकार होता है। सुरक्षा परिषद उन विवादों की जांच करती है। जो अन्तर्राष्ट्रीय शांति को खतरा पैदा करते हैं। संयुक्त राष्ट्र का कोई भी सदस्य देश सुरक्षा परिषद की सदस्यता के बिना भी परिषद की चर्चा में मतदान के अधिकार के बगैर उस स्थिति में भाग ले सकता है जब सुरक्षा परिषद को यह लगता है कि चर्चा के दौरान उस देश के हितों के प्रभावित होने की संभावना है। भारत सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता हेतु लगातार प्रयासरत है अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का आठवां कार्यकाल 2021–22 में रहा है।

मूल शब्दः संयुक्त राष्ट्र संघ, सुरक्षा परिषद, मतदान प्रणाली, सदस्यता, भारत की भूमिका।

प्रस्तावना
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएन एससी) संयुक्त राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। संयुक्त राष्ट्र घोषणा–पत्र (चार्टर) के अध्याय 5,6,7, तथा 7,8 के अन्तर्गत अनुच्छेद 23 से 54 तक सुरक्षा परिषद के गठन, कार्य और शक्तियों का उल्लेख है। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना सुरक्षा परिषद की जिम्मेदारी है। इसे ''दुनिया का पुलिस मैन'' भी कहा जाता है। सुरक्षा परिषद में पांच स्थायी और दस अस्थायी सदस्य हैं। मूल चार्टर के अनुसार परिषद में पांच स्थायी और छः अस्थायी–कुल ग्यारह सदस्य होते थे परन्तु सितम्बर 1965 में चार्टर में संसोधन द्वारा अस्थायी सदस्यों की संख्या छः से बढ़ाकर दस कर दी गई। अस्थाई सदस्यों का निर्वाचन महासभा अपने दो–तिहाई बहुमत से दो वर्ष के लिए करती है।

सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली
सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य का एक वोट होता है। निर्णय के लिए 15 मे से 9 सदस्यों द्वारा सकारात्मक मतदान करना आवश्यक होता है। 9 वोट निर्णय के पक्ष मे होने जरूरी होते हैं और साथ ही पांच स्थायी सदस्यों की सहमति भी जरूरी होती है। यदि कोई स्थायी सदस्य किसी निर्णय से सहमत नहीं है तो वह नकारात्मक मतदान करके अपने वीटो के अधिकार का उपयोग कर सकता है। यदि कोई स्थायी सदस्य किसी निर्णय का समर्थन नहीं करता और उस निर्णय को रोकना भी नहीं चाहता तो मतदान की प्रक्रिया के दौरान अनुपस्थित रह सकता है।

सुरक्षा परिषद के कार्य तथा अधिकार
संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों तथा सिद्धातों के अनुकूल अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को कायम रखना अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ा पैदा करने वाली किसी भी स्थिति अथवा विवाद की छानबीन करना, इन झगड़ो को सुलझाने अथवा समझोते की शर्तो के उपयोग का सुझाव देना, शस्त्रीकरण का नियमन करने की प्रणाली स्थापित करने के लिए योजना बनाना, आक्रमण के कारणों का निर्धारण करना तथा कार्यवाही की जाये, इसके विषय में सुझाव देना, आक्रमण को रोकने या बन्द करने के लिए शस्त्र प्रयोग के अतिरिक्त आर्थिक सहायता पर रोक तथा अन्य प्रतिबन्धो के लिए सदस्यों से अनुरोध करना।

संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई भी सदस्य देश चाहे वह सुरक्षा परिषद का सदस्य न भी हो, तो भी वह अपने देश के हित से सम्बधित चर्चा मे भाग ले सकता है। सदस्य तथा गैर सदस्य दोनो को परिषद मे भाग लेने के लिए आमन्त्रित किया जाता है बशर्ते उनसे सम्बधित किसी विवाद पर चर्चा की जा रही है। गैर सदस्यों के भाग लेने के बारे में परिषद कुछ नियम बना देती है।

अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का कार्यकाल और भूमिका :–

संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद से अब तक भारत 1950–51, 1967–68, 1972–73, 1977–78, 1984–85, 1991–92, और 2011–12 तक सात बार सुरक्षा परिषद का सदस्य रह चुका है तथा भारत का आठवा कार्यकाल 2021–22 मे रहा है। इस तरह भारत संयुक्त साइड़ संघ की स्थापना से लेकर अब तक आठ बार उनस्थायी सदस्य रह चुका है। जहां तक परिषद की अध्यक्षता की बात है, तो ये भारत का दसवा कार्यकाल है।

भारत संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न प्रमुख अंगों तथा उसकी विशिष्ठ एजेन्सियों के साथ सक्रिय सहयोग करता रहता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के आठवें अधिवेशन ने भारत की श्रीमती विजयलक्ष्मी पण्ड़ित को अपना अध्यक्ष चुना। वह पचास वर्ष से अधिक की अवधि में महासभा की एकमात्र महिला अध्यक्ष रही हैं। प्रसिद्ध भारतीय न्यायविद बी. एन. राव एवं ड़ा. नगेन्द्र सिंह अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के ख्याति प्राप्त न्यायाधीश रहे हैं।

भारत ने विकासशील देशों के एक समूह का नेतृत्व किया जिसके आग्रह पर 1956 मे 16 देशो को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्रदान की गई। भारत ने अनेक वर्षों तक बहुत प्रभावी ढ़ंग से संयुक्त राष्ट्र में जनवादी चीन के प्रतिनिधित्व का समर्थन किया। एशिया और अफ्रीका के विभिन्न देशो में उपनिवेशवाद के उन्मूलन की प्रक्रिया को गति देने के लिए भारत ने अथक प्रयास किए।

संयुक्त राष्ट्र में भारत ने जो प्रथम महत्वपूर्ण अभियान आरम्भ किया वह इण्ड़ोनेशिया मे नीदरलैण्ड़ के साम्राज्यवादी शासन को समाप्त कराने के लिए चलाया गया था। उतरी अफ्रीका में फ्रांस के उपनिवेशों अल्जीरिया, ट्यूनिसिया और मोरक्को के औपनिवेशिक प्रशनो पर अन्य विकासशील देशो के सहयोग से, भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साइप्रस की स्वतंत्रता की मांग का भी भारत ने पूर्ण समर्थन किया।

इस तरह भारत ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित सभी शांति स्थापना कार्यों का समर्थन किया है और आवश्यकता पड़ने पर उनके साथ पूरा सहयोग किया।

सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता प्राप्ति में बाधांए

- भारत की सदस्यता के लिए चार्टर में संसोधन करना पड़ेगा। इसके लिए स्थायी सदस्यों के साथ–साथ दो तिहाई देशों द्वारा पुष्टि करना आवश्यक है।
- चीन भारत की सदस्यता का विरोध करता है।
- भारत की सामाजिक – आर्थिक स्थिति ज्यादा सुदृढ़ नही है।
- वैश्विक सूचकाकों जैसे– भूख सूचकांक, मानव विकास सूचकांक आदि में भारत का स्थान काफी पीछे है।
- कोफी अन्नान समूह के सदस्य देशों द्वारा भारत का विरोध।
- चीन के करीबी देश पाकिस्तान, तुर्की, उतर कोरिया और इटली जैसे देश भारत की स्थायी सदस्यता का विरोध कर रहे है।

निष्कर्ष

विश्लेषणात्मक रूप से देखा जाये तो सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता न केवल भारत के लिए उपयोगी होगी ब्लकि अन्य देशों के लिए भी अच्छी साबित होगी। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस रूस के अलावा ब्राजील, जर्मनी, जापान जैसे देश भारत की स्थायी सदस्यता के समर्थन में हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रूचिरा कंबोज ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा था कि जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रं को वैश्विक निर्णय लेने से बाहर रखा गया है तो सुरक्षा परिषद में सुधार की भारत की मांग सही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी भारत की स्थायी सदस्यता की वकालत कर चुके है।

संदर्भ

1. ड़ॉ. पुस्पेश पंत– अन्तर्राष्ट्रीय संबंध सिद्वांत और व्यवहार मीनाक्षी प्रकाशन–मेरठ, 2009, पृ.सं. 193,569
2. वी. एन. खन्ना, लिपाक्षी अरोड़ा– भारत की विदेश नीति विकास पब्लिशिग हाउस प्रा. लि.– 2010, पृ.स. 283
3. यू. आर. हाई.– अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति सिद्वांत और व्यवहार न्यू एकेडमिक पब्लिशिग कम्पनी, जालन्धर, पृ.स.– 437–64
4. राजस्थान पत्रिका, 3 मई 2023
5. ड़ॉ. कुलदीप फड़िया– अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, 2016 पृ.स., 16
6. ड़ॉ. एस. सी. सिहंल– अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 2020।